

A decorative scroll with a light beige background and a brown border. The scroll is held by four ornate, multi-colored (blue, gold, and red) metal rings. The background is a vibrant green with a subtle gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are pink roses with green leaves.

अध्याय – 10

फैलोशिप
और
पुरस्कार

इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (आई.जी.पी.पी.)

परिचय और उद्देश्य

- दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सम्माननीय याद में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वर्ष 1987 में “इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (आई.जी.पी.पी.)” नामक एक पुरस्कार उन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया था जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सम्मानजनक और प्रभावकारी कार्य किया हो। प्रारंभ में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार योग्य व्यक्ति/भारतीय संगठन को दिया गया। वर्ष 1991 से एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार व्यक्ति और संगठन की श्रेणी में अलग-अलग प्रदान किया गया। वर्ष 2002 से प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार की राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसके बाद आई.जी.पी.पी. को नियंत्रित करने वाले नियमों को वर्ष 2005 से संशोधित कर दिया गया तथा संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 5,00,000/- रुपये का एक पुरस्कार, 3,00,000/- रुपये के दो पुरस्कार तथा व्यक्तियों की श्रेणी में प्रत्येक व्यक्ति को 2,00,000/- का पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। नकद पुरस्कार के अलावा, प्रत्येक पुरस्कार—प्राप्त—कर्ता को एक रजत कमल ट्राफी तथा एक प्रशस्तिपत्र दिया जाता है। पर्यावरण के सुधार के लिए भारत का कोई भी नागरिक अथवा भारत में कार्यरत कोई संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित पर्यावरणीय पुरस्कार समिति विजेताओं का चयन करती है। पुरस्कार के लिए नामांकन की सिफारिश भारत के किसी भी नागरिक द्वारा की जा सकती है। स्वतः अपने लिए किए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाता है। नामांकन करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। नामांकन का चयन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा चयनित तीन विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन करते समय “पर्यावरण” का अभिप्रायः जहां तक संभव हो, व्यापक अर्थ में लगाया जाता है जिसमें निम्नलिखित कार्य क्षेत्र शामिल हैं :

- प्रदूषण की रोकथाम।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- अपक्षीण होने वाले संसाधनों का सूझबूझ से प्रयोग करना।
- पर्यावरणीय आयोजना और प्रबंधन।
- पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन।
- पर्यावरण के संवर्धन के क्षेत्र (नवीन अनुसंधान कार्य) में श्रेष्ठ कार्य यथा—वनरोपण, भूमि अधिग्रहण, वाटर ट्रीटमेंट, वायु—शुद्धिकरण इत्यादि।
- पर्यावरणीय शिक्षा
- पर्यावरणीय विषयों पर जागरूकता फैलाना।

वर्तमान स्थिति

- इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2003 और 2004 के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित पुरस्कार समिति द्वारा किया गया। 5 जून, 2007 को हुए पुरस्कार समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए। आई.जी.पी.पी. 2005 के लिए मंत्रालय को कुल 190 नामांकन (125 व्यक्तियों के और 65 संगठनों के) प्राप्त हुए। नामांकनों की लघुसूची, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा चयनित तीन विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई। इन सूचीबद्ध नामांकनों के वास्तविक सत्यापन का कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया। संयुक्त सूचीबद्ध नामांकनों को, जिनमें वास्तविक सत्यापनों को शामिल किया गया होगा, पुरस्कार समिति के समक्ष पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2005-07 के लिए प्राप्त हुए नामांकनों को 13 मार्च, 2008 को पुरस्कार समिति के विचारार्थ प्रौसेस किया जा रहा है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र (आई.पी.वी.एम.)

पुरस्कार

परिचय और उद्देश्य

- इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र (आई.पी.वी.एम.) पुरस्कारों को वर्ष 1986 में वनरोपण/बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष किए गए अग्रणी और नवीन कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए में शुरू किया गया था।
- कुल मिलाकर इसमें 12 श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। ये हैं:—
 - व्यक्तिगत
 - पंचायत/ग्रामसभा/ग्राम स्तरीय संस्थान/ग्राम स्तर पर सहकारी संगठन।
 - युवक मंडलों इत्यादि समेत स्वयंसेवी एजेंसियां।
 - जागरूकता लाने के लिए महिलाओं के संगठन।
 - सरकारी कर्मचारी (व्यक्तिगत)।
 - शिक्षण संस्थान।
 - सरकारी एजेंसियां (जिला स्तर से ऊपर नहीं)।
 - कार्पोरेट सेक्टर (प्राइवेट/सार्वजनिक सेक्टर की एजेंसियां)।
 - नगरपालिकाएं/नगर निगम/छावनी बोर्ड।
 - राज्य सरकार स्तर के संगठन।
 - वन विकास एजेंसी।
 - संयुक्त वन प्रबंधन समिति।
 - ये पुरस्कार रचनात्मक नवीन प्रयासों और वनरोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं जिनमें बंजर भूमि विकास और लोगों की सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पुरस्कारों पर निर्णय लेते समय निम्न कार्यकलापों को ध्यान में रखा जाता है :

- विकेंद्रीकृत नर्सरियां स्थापित करना।
- बंजर भूमि/फार्म भूमि पर वृक्ष लगाना।
- जागरूकता बढ़ाना, प्रोत्साहन और विस्तार कार्य करना
- वनरोपण और वृक्ष लगाने में ग्रामीण गरीबों/आदिवासियों/सहकारिताओं को शामिल करना
- बुनियादी संस्थान जैसे कि वृक्ष उगाने की सहकारिता स्थापित करना; तथा
- सामुदायिक काष्ठ भूभागों और चारागाहों की सोशल फेंसिंग।

वर्तमान स्थिति

वर्ष 2005 के पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। पुरस्कारों को प्राप्त करने वालों के प्रोफाइल में पर्याप्त सुधार के उद्देश्य से पुरस्कारों को रिस्ट्रक्चर करने का प्रस्ताव है, ताकि वे दीर्घावधि के रोल मॉडल बन सकें जो कि वृक्षरोपण कार्यकलाप की दीर्घकालीन प्रबंधन प्रक्रिया को देखते हुए आवश्यक है।

पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप

परिचय और उद्देश्य

पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप 1978 में शुरू की गई तथा प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय विज्ञान से जुड़े किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता की पहचान करने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह फेलोशिप दी जाती है तथ महत्वपूर्ण अनुसंधान/विकासपूर्ण योगदान को पहचान देने तथा पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को समर्पित करने को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। इस फेलोशिप की अवधि दो वर्ष है।

वर्तमान स्थिति

अब तक पूरे देश में विभिन्न वैज्ञानिकों को 27 फेलोशिप पुरस्कार दिए जा चुके हैं। वर्ष 2005 और 2006 के लिए कोई फेलोशिप नहीं दी गई क्योंकि इसके लिए उपर्युक्त अभ्यर्थी

नहीं पाया गया। 2006 की फैलोशिप को प्रोसेस किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, फैलोशिप के लिए दिशा-निर्देश और पुरस्कार के मानदण्डों को आवेदक की आयु 60 वर्ष तक सीमित करते हुए संशोधित किया गया। आवेदक को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी/इंजीनियरिंग/कृषि के कम-से-कम दो फैलो द्वारा समर्थन होना आवश्यक है।

जैव-विविधता के लिए बी.पी. पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप

परिचय और उद्देश्य

जैव-विविधता के लिए बी.पी. पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप वर्ष 1993 में स्थापित की गई तथा देश में उपलब्ध जैव-विविधता पर विशेषज्ञता को और अधिक विकसित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है। यह फैलोशिप विशिष्ट महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकासपूर्ण योगदान करनेको मान्यता स्वरूप तथा उन प्रतिभावान व्यक्तियों जो जैव-विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रति पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो, को दी जाती है।

वर्तमान स्थिति

अब तक देश भर के विभिन्न वैज्ञानिकों को 10 फैलोशिप्स प्रदान की जा चुकी हैं। वर्ष 2005 के लिए फैलोशिप डा.आर. सुकुमार, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर को दी गई तथा वर्ष 2006 के लिए फैलोशिप चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा के डा. के.एस. बंगारवा को दी गई।

- वर्ष के दौरान फैलोशिप के लिए दिशा-निर्देशों और मानदंडों को आवेदक की गई है। आवेदक को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी/इंजीनियरिंग/कृषि के दो फैलो का समर्थन प्राप्त होना चाहिए

अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार

परिचय और उद्देश्य

- “अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार” राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे मंत्रालय द्वारा वन्यजीवन को बचाने के लिए शुरू किया गया था तथा जिसके लिए प्रशस्तिपत्र और मेडल के अतिरिक्त एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है।
- यह वार्षिक पुरस्कार वन्यजीवों की सुरक्षा करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए ग्रामीण

समुदाय के किसी व्यक्ति/संस्थान को दिया जाता है। देश में वन्यजीवों की रक्षा करने के कार्य में किए गए किसी कार्य के लिए अनुकरणीय साहस और वीरता दिखाने के लिए हर वर्ष दिया जाता है। इसमें व्यक्तियों की आयु की कोई सीमा नहीं है।

राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार

परिचय और उद्देश्य

- राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए किसी महत्वपूर्ण योगदान के लिए अथवा देश में वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण करने की क्षमता का बड़ा प्रभाव रखने के लिए दिया जाता है।
- एक-एक लाख रुपये के दो नकद पुरस्कार समेत मेडल ट्राफी और प्रशस्ति पत्र, निम्नलिखित को दिया जाता है :
 - शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों और संगठनों, और
 - वन और वन्यजीव अधिकारियों/रिसर्च स्कोलर्स अथवा वैज्ञानिकों/वन्यजीव संरक्षकों को।
- व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में एक मेडलियन और संस्थागत पुरस्कार की श्रेणी में एक ट्राफी प्रदान की जाती है।
- मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान, व्यक्ति अथवा सरकार और वैज्ञानिक कार्य में कार्यरत भारत का वन विभाग का कर्मचारी/वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण कार्य के लिए फाइल किए गए स्टॉफ पात्र हैं। कोई आयु सीमा नहीं है। “वन्यजीव” का अर्थ अधिक-से-अधिक संभव मायने में लिया जाता है।

डॉ. सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फैलोशिप पुरस्कार तथा श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फैलोशिप पुरस्कार

- मंत्रालय द्वारा ये फैलोशिप इस देश की समृद्ध वन्यजीव सम्पदा को बचाने के उद्देश्य से किए जा रहे अनुसंधान/प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए वन्यजीव प्रबंधकों और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को विशेष तौर पर प्रेरित करने और बढ़ावा देने तथा पक्षी वन्यजीव और स्तनपायी वन्यजीवों पर क्रमशः किए जा रहे

अनुसंधान/प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए दी जाती है।

मेदिनी पुरस्कार योजना

परिचय और उद्देश्य

- वर्ष 1988 में शुरू की गई इस मंत्रालय की मेदिनी पुरस्कार योजना का उद्देश्य भारतीय लेखकों द्वारा मूल रूप से हिंदी में अधिकाधिक पुस्तकें पर्यावरण और वन तथा इसे जुड़े विषयों पर लिखने को प्रेरित करना है। वर्ष के दौरान योजना जारी रही। इस योजना के

अंतर्गत, एक प्रशस्ति पत्र सहित रु.31,000/-, रु. 25,000/-, रु.20,000/- और 15,000/- रुपये के चार पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन लेखकों को दिए जाते हैं जिनकी पुस्तकों को इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वोत्तम चुना जाता है।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2006 के पुरस्कारों के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियों का मंत्रालय की मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।